भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3675
दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

वात्सल्य योजना के अंतर्गत मजबूत संरक्षण प्रणाली

3675 श्री नीरज डांगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वात्सल्य योजना के अंतर्गत गुमशुदा और असहाय बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार उनके संरक्षण के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस मिशन को बढ़ावा देने के लिए बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने तथा परिवार आधारित देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु क्या उचित उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या इस योजना के मजबूत कार्यान्वयन के लिए कोई निगरानी तंत्र या एजेंसी स्थापित की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) तथा (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ साझेदारी में 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य लापता और असहाय बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करना है जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत

देखभाल सेवाएं शामिल हैं। इस मिशन के अंतर्गत चाइल्ड हेल्प लाइन (1098) के माध्यम से 24x7 सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि का समर्थन करते हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच निधि साझाकरण पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 90:10 के अनुपात में है जबकि अन्य सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 के अनुपात में है साथ विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में 100% लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 24 (1) (vi) में सार्वजनिक या निजी संस्थाओं, कंपनियों या निगमों के माध्यम से प्रायोजन का प्रावधान है।

मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देश निजी सहायता प्राप्त प्रायोजन के तहत बच्चों के लिए सहायता निर्धारित करते हैं, जिसमें व्यक्ति/संस्थाएं/कंपनी/बैंक/औद्योगिक इकाइयां/ट्रस्ट इत्यादि कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले लापता और असहाय बच्चों सहित बच्चों की राज्यवार संख्या, 31.03.2024 तक अनुलग्नक में दी गई है।

(ग): मंत्रालय मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में रहता है। इसने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए इस योजना के तहत विभिन्न परामर्श जारी किए हैं।
इस योजना के बारे में जागरूकता और बेहतर क्रियान्वयन के लिए हितधारकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देशों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और

आईईसी सामग्री के मुद्रण और प्रसार सहित मीडिया अभियान के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का प्रावधान है।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत की गई पहलों में "संवाद" (संवेदनशील परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए एडवोकेसी तथा मानसिक स्वास्थ्य पहल सहायता) के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बंगलुरु के साथ सहयोग शामिल है। संवाद मानसिक स्वास्थ्य, देखरेख और संरक्षण, शिक्षा तथा नीति एवं कानून के क्षेत्रों में कार्य करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण कार्मिकों और अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

साथ ही मंत्रालय ने लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है, ताकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, जिला प्राधिकरणों और अन्य जैसे अनेक हितधारकों की क्षमता निर्माण किया जा सके।

मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए हैं। इनमें मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देश, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश 2024 और अन्य परामर्श शामिल हैं।

(घ): मंत्रालय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य योजना को क्रियान्वित करता है और नियमित रूप से उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार देखभाल के मानकों का पालन सीसीआई द्वारा किया जाए। इसके अलावा, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार, जेजे अधिनियम, 2015 की प्राथमिक जिम्मेदारी और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

*****

अनुलग्नक

श्री नीरज डांगी द्वारा "वात्सल्य योजना के अंतर्गत मजबूत संरक्षण प्रणाली" के संबंध में 02.04.2025 को राज्य सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3675 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले लापता और असहाय बच्चों सहित राज्यवार बच्चों की संख्या (31.03.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखभाल में बच्चों की संख्या	गैर-संस्थागत देखभाल में बच्चों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1546	10000
2	अरुणाचल प्रदेश	206	1719
3	असम	1241	1919
4	बिहार	2227	4001
5	छत्तीसगढ़	1843	1137
6	गोवा	461	62
7	गुजरात	3195	450
8	हरियाणा	963	643
9	हिमाचल प्रदेश	926	1352
10	जम्मू एवं कश्मीर	1104	4024
11	झारखंड	1238	4629
12	कर्नाटक	3110	12449
13	केरल	776	1455
14	मध्य प्रदेश	2597	13715
15	महाराष्ट्र	3495	21680
16	मणिपुर	2295	1288
17	मेघालय	1031	1083
18	मिजोरम	1172	1516

19	नागालैंड	562	779
20	ओडिशा	4431	3697
21	पंजाब	533	4150
22	राजस्थान	2733	933
23	सिक्किम	468	460
24	तमिलनाडु	10118	5411
25	तेलंगाना	2243	4858
26	त्रिपुरा	948	1373
27	उत्तर प्रदेश	3226	10000
28	उत्तराखंड	589	1817
29	पश्चिम बंगाल	4744	2750
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	274	1
31	चंडीगढ़	222	309
32	दादरा और नगर हवेली- दमन और दीव	36	984
33	लद्दाख	84	411
34	लक्षद्वीप	0	0
35	दिल्ली	1216	635
36	पुद्दुचेरी	739	171
कुल		**62592**	**121861**

*****